

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122024-259412 CG-DL-E-14122024-259412

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5015]नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2024/अग्रहायण 22, 1946No. 5015]NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2024/AGRAHAYANA 22, 1946

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2024

**का.आ. 5421(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
रारा-347बी	देशगांव – खरगोन – जुलवानिया खंड	107.762 किमी
	(मध्य प्रदेश राज्य में)	

[फा सं. एनएच-14013/14/2024-पी एंड एम(पार्ट)]

अभय जैन, निदेशक

8104 GI/2024

2

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

### New Delhi, the 13th December, 2024

S.O. 5421(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

## TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-347B	Deshgaon-Khargon-Julwania Section (In the State of Madhya Pradesh)	107.762 Km.

[F.No. NH-14013/14/2024-P&M(Pt)]

ABHAY JAIN. Director

# **अधिसूचना** नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5422(अ).---केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्टीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्टीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा परे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्दारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी. अर्थात:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [किमी 243.600 से किमी 651.500 (रीवा से कटनी से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश
"13.	सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 12 [किमी 315.725 से किमी 421.325 (भोपाल व्यावरा खंड)	राज्य
	और किमी 66.000 से किमी 130.424 (हिरन नदी से सिंदूर नदी खंड) तक खंड को छोड़कर],	सरकार"
	सं. 12ए [किमी 89.600-किमी 192.400 (मांडला – चिलपी खंड) और (दमोह - जबलपुर - बरेला	
	खंड 122.800 किमी) तक खंड को छोड़कर], सं. 26ए, सं. 27, सं. 59 [किमी 9.500 से किमी	
	171.000 (इंदौर – झाबुआ – म. प्र./गुजरात सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 69 (किमी 0.60 से	
	किमी 8.300 और किमी 8.400 से किमी 20.700 (रातापानी खंड) तथा किमी 20.700 से	
	किमी 256.400 तक खंड को छोड़कर), सं. 75 [(ग्वालियर-झांसी खंड के ग्वालियर बाइपास सहित	
	ग्वालियर से म. प्र./ उ. प्र. सीमा के किमी 0.000 से किमी 85.000 और किमी 2.800 से	
	किमी 83.400 (रीवा – सीधी खंड) और किमी 6.500 से किमी 12.000 और किमी 24.000 से	
	किमी 33.390 और किमी 40.225 से किमी 41.350 और किमी 43.240 से किमी 44.432 और किमी 82.100 से किमी 108.000 (झांसी- नौगांव खंड) और किमी 0.000 से किमी 57.900	
	(बमिथा के पास) (नौगांव – सतना खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 76 [किमी 0.000 से	

3

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

किमी 30.000 (मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा से शिवपुरी) तक खंड को छोड़कर], सं. 78 [किमी 0.00 से किमी 69.100 (कटनी – उमरिया खंड) और किमी 142.200 से किमी 245.000 (शहडोल – अनूपपुर – म. प्र./छत्तीसगढ सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 86 [डिजाइन किमी 3/8 से 81 (सागर से हीरापुर खंड) और किमी 81.00 से किमी 189/4.00 (हीरापुर छतरपुर से म.प्र./उ.प्र. सीमा खंड तक) और किमी 67 से किमी 187 (सांची – सागर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 92, नई रारा सं. 339बी, नई रारा सं. 45वि., नई रारा सं. 56 [अंबुआ –दाहोद खंड (29 किमी)], नई रारा सं. 135सी, नई रारा सं. 347ए, नई रारा सं. 347सी, नई रारा सं. 548सी, नई रारा सं. 552वि., नई रारा सं. 346 [किमी 87 से किमी 159 (धोलीखेड़ी – मेहुला चौराहा (कुरबई) खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 752बी, नई रारा सं. 752सी, नई रारा सं. 752जी, नई रारा सं. 543, नई रारा सं. 146बी [किमी 0.00 से किमी 43.900 (संदलपुर से नसरुल्लगंज खंड और किमी 87.550 से किमी 150.700 (बुधनी से बादी खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 347बी [किमी 0 से किमी 127 (खेड़ी– आशापुर खंड) और देशगांव – खरगोन – जुलवानिया खंड (107.762) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 43वि., नई रारा सं. 135बी और नई रारा सं. 943 के उतने भाग जो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।

[फा सं. एनएच- 14013/14/2024-पी एंड एम(पार्ट)]

अभय जैन, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 4564(अ) दिनांकित 17 अक्टूबर, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

## NOTIFICATION

## New Delhi, the 13th December, 2024

**S.O. 5422(E)**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the  $4^{th}$  August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE
-------

(1)	(2)	(3)
"13"	So much of National Highways No. 7 [excluding from Km. 243.600 to Km. 651.500 (Rewa	State
	to Katni to Madhya Pradesh/Maharashtra Border)], No.12 [excluding from km 315.725 to	Government
	km 421.325 (Bhopal Bioara Section) and from Km. 66.000 to Km. 130.424 (Hiran river to	of
	Sindoor river section) ], No. 12A [excluding from Km 89.600-Km-192.400 (Mandla-Chilpi	Madhya
	Section) and (Damoh - Jabalpur - Barela Section 122.800 km) ], No. 26A, No. 27, No. 59	Pradesh.".
	[excluding from km. 9.500 to km. 171.000 (Indore- Jhabua- MP/Gujarat Border)], No. 69	
	[excluding from km. 0.60 to km. 8.300 and from Km. 8.400 to km. 20.700 (Ratapani section)	
	and from km. 20.700 to km. 256.400], No.75 [excluding from km. 0.000 to km. 85.000 of	
	Gwalior to MP/UP Border including Gwalior bypass of Gwalior-Jhansi Section and from	
	2.800 to km 83.400 (Rewa-Sidhi section) and from km. 6.500 to km. 12.000 and from	
	km. 24.000 to 33.390 and from km. 40.225 to km. 41.350 and from km. 43.240 to km.	
	44.432 and from km. 82.100 to km.108.000 (Jhansi- Nowgaon Section) and from km. 0.000	

to 57.900 (near Bamitha) (Nowgaon- Satna Section)], No. 76 [excluding from Km. 0.000 to Km.30.000 (Madhya Pradesh/Rajasthan Border to Shivpuri)], No. 78 [excluding from Km 0.00 to km 69.100 (Katni – Umria Section) and from km 142.200 to km 245.000 (Shahdol-Anuppur- MP/Chhatishgarh Border Section)], No.86 [excluding from design km. 3/8 to 81 (Sagar to Hirapur Section) and from km 81.00 to km 189/4.00 (HirapurChhatarpur upto MP/UP Border Section) and from km 67 to km 187 (Sanchi-Sagar Section)], No. 92, new NH No. 339B, new NH No. 45 extn., New NH No. 56 [Ambua- Dahod Section (29 Km.)], new NH No. 135C, new NH No. 347A, new NH No. 347C, new NH No. 548C, new NH No. 552 Extn., new NH No. 346 [excluding Km 87 to Km 159 (Dholikhedi-Mehula chouraha (kurwai) Section], new NH No. 752B new NH No. 752C, new NH No. 752G, new NH No. 543, New NH No. 146B [excluding from Km. 0.00 to Km. 43.900 (Sandalpur to Nasrullaganj Section) and from Km. 87.550 to Km. 150.700 (Budhni to Badi Section)], **New NH No. 347B** [excluding km 0 to km 127 (Khedi-Ashapur Section) **and Deshgaon-Khargon-Julwania Section (107.762 Km.)**] new NH No. 43 Extn., new NH No. 135B, and new NH No. 943 as are situated within the State of Madhya Pradesh

## [F.No. NH-14013/14/2024-P&M(Pt)]

ABHAY JAIN, Director

Note: —The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 4564(E), dated the 17th October, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.